



राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

पत्रांक : 308 / 28 / 76 / एक / 2018-19
सेवा में,

दिनांक : 27 अप्रैल 2018

जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-मऊ।

विषय : मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण
महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में आपके जनपद को मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख रू० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
यूनियन बैंक आफ इण्डिया	433802011001024	IFSC Code UBIN0558605	220.437

(धनराशि लाख रू० में)

क्र०सं०	जनपद का नाम	योजना का नाम	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मु०न०अ०वि० व म०ब०वि० योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त)
1	मऊ	मु०अ०-37	न०प० दोहरीघाट	वार्ड नं०-09 के अंतर्गत मौ० सदर बाजार में माईधिया के स्थान से मनभावन कास्मेटिक की दुकान तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	1.900
2	मऊ	मु०अ०-37	न० प० चिरैयाकोट	वार्ड नं०-09 के अंतर्गत मौ० मनाजीत में मऊ गाजीपुर आजमगढ़ रोड से मानपुर होते हुए इब्राहीम चक से राजेन्द्र उपाध्याय के घर तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	16.726
3	मऊ	मु०अ०-37	न०पा०प० मऊनाथ भंजन	वार्ड नं०-21 मुंशीपुरा पश्चिमी में मोहन चौहान के घर से सखरज का हाता होते हुए कब्रिस्तान तक इण्टरलॉकिंग व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	3.323
4	मऊ	मु०अ०-37	न०पा०प० मऊनाथ भंजन	वार्ड नं०-21 मुंशीपुरा पश्चिमी में काली मन्दिर के सहन होते हुए गली में मिट्टी एवं इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	1.997
5	मऊ	मु०अ०-37	न०पा०प० मऊनाथ भंजन	वार्ड नं०-21 मुंशीपुरा पश्चिमी के अन्तर्गत मौ० देवपरा में लालचन्द राजभर के घर से मुसाफिर राजभर के घर तक इण्टरलॉकिंग व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	5.334
6	मऊ	मु०अ०-37	न०पा०प० मऊनाथ भंजन	वार्ड नं०-28 के अंतर्गत मौ० सहादतपुरा में मनोज सिंह के घर से प्रवीण के घर के आगे तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य।	11.446



45/2

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

क्र०सं०	जनपद का नाम	योजना का नाम	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मु०न०अ०वि० व म०ब०वि० योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त)
7	मऊ	मु०अ०-37	न०पा०प० मऊनाथ भंजन	वार्ड नं०-28 के अंतर्गत मौ० सहादतपुरा में मास्टर साहब के घर से मनोज सिंह के घर के आगे तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य।	2.887
8	मऊ	मु०अ०-37	न०पा०प० मऊनाथ भंजन	वार्ड नं०-28 के अंतर्गत मौ० सहादतपुरा में योगेन्द्र के हास्पिटल के बगल से अरविन्द व रामाशीष के घर तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य।	11.326
9	मऊ	म०ब०-83	न०पा०प० मऊनाथ भंजन	वार्ड नं०-04 के अंतर्गत मौ० छोटी बकवल में मुख्य सड़क से राजदेव के घर होते हुए नन्दलाल के घर तक इण्टरलॉकिंग व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	2.856
10	मऊ	म०ब०-83	न०पा०प० मऊनाथ भंजन	वार्ड नं०-04 में ताजपुर मेन रोड से रामू राजभर के घर होते हुए शिव कुमार राजभर के घर तक इण्टरलॉकिंग व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	3.470
11	मऊ	म०ब०-83	न०पा०प० मऊनाथ भंजन	वार्ड नं०-04 में राष्ट्रीय राजमार्ग 29 बहरीपुर मोड़ से अप्पू पाण्डेय के मकान तक इण्टरलॉकिंग व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	3.714
12	मऊ	म०ब०-83	न०पा०प० मऊनाथ भंजन	वार्ड नं०-04 में राष्ट्रीय राजमार्ग से मणी बहादुर के घर से प्रभाकर के घर होते हुए नागेन्द्र सिंह के घर तक इण्टरलॉकिंग व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	4.075
13	मऊ	म०ब०-83	न०पा०प० मऊनाथ भंजन	वार्ड नं०-04 में राष्ट्रीय राजमार्ग एन०एच०-29 सचेन्द्र के मकान से अखिलेश वकील के घर होते हुए उदयभान, उपेन्द्र, मिथिलेश मास्टर व बाकें बिहारी तक इण्टरलॉकिंग व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	10.899
14	मऊ	म०ब०-83	न०पा०प० मऊनाथ भंजन	वार्ड संख्या-02 के अंतर्गत मौ० बड़ा पोखरा में सलाहाबाद मोड़ अशोक गुप्ता के मकान से जय प्रकाश के मकान होते हुए दयाशंकर लाल श्रीवास्तव के मकान तक नाली पटिया एवं इण्टरलॉकिंग कार्य।	3.946
15	मऊ	म०ब०-83	न०पा०प० मऊनाथ भंजन	वार्ड संख्या-07 के अंतर्गत मौ० भाटी में रामसूरत के मकान से सुनील राय, ईश्वर सिंह एवं जय प्रकाश यादव तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग कार्य।	5.276
16	मऊ	मु०अ०-37	न०प० घोसी	वार्ड नं०-8 के अन्तर्गत मो० अम्बेडकर तिराहा में घोसी-मधुबन मुख्य मार्ग से रमाकान्त के मकान तक इन्टरलाकिंग कवर्ड नाली का निर्माण।	13.982
17	मऊ	मु०अ०-37	न०प० मथुबन	वार्ड नं०-8 के अन्तर्गत मो० अम्बेडकर तिराहा में रामानन्द के घर से गिरिश का मकान होते हुए बलवन्त गौड़ के मकान तक नाली एवं इन्टरलाकिंग कार्य।	10.939



45/5

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

क्र०सं०	जनपद का नाम	योजना का नाम	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मु०न०अ०वि० व म०ब०वि० योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त)
18	मऊ	मु०अ०-37	न०प० मथुवन	वार्ड नं०-8 के अन्तर्गत मो० अम्बेडकर तिराहा में बलवन्त गोंड के घर से विशुनदेव के घर होते हुए जोखन मल के घर तक नाली एवं इन्टरलाकिंग कार्य।	10.801
19	मऊ	मु०अ०-37	न०प० मथुवन	वार्ड नं०-8 के अन्तर्गत मो० अम्बेडकर तिराहा में सतनारायण मदेशिया के घर से चंद्रिका के घर तक नाली एवं इन्टरलाकिंग कार्य।	2.327
20	मऊ	मु०अ०-37	न०प० मथुवन	वार्ड नं०-8 के अन्तर्गत मो० अम्बेडकर तिराहा में मनोज मल्ल के दरवाजे से गिरीश मिश्रा का घर होते हुए रामाशंकर के घर तक कवर्ड नाली एवं इन्टरलाकिंग कार्य।	8.990
21	मऊ	मु०अ०-37	न०प० मथुवन	वार्ड नं०-8 के अन्तर्गत मो० अम्बेडकर तिराहा में बलवन्त गोंड के घर से राजेश मल के घर तक नाली एवं इन्टरलाकिंग कार्य।	6.579
22	मऊ	मु०अ०-37	न०प० मथुवन	वार्ड नं०-8 के अन्तर्गत मो० अम्बेडकर तिराहा में शैलेश के घर से स्व० सन्तबली के घर होते हुए श्रीप्रकाश के घर तक नाली एवं इन्टरलाकिंग कार्य।	7.220
23	मऊ	मु०अ०-37	न०प० घोसी	वार्ड नं०-8 के अन्तर्गत मो० अम्बेडकर तिराहा में विमल के घर से पशु चिकित्सालय होते हुए मधुबल-घोसी मार्ग तक इन्टरलाकिंग का निर्माण।	11.050
24	मऊ	मु०अ०-37	न०प० मथुवन	वार्ड नं०-8 के अन्तर्गत मो० अम्बेडकर तिराहा में हरिश्चन्द्र के घर से तपसी के घर तक नाली एवं इन्टरलाकिंग कार्य।	2.384
25	मऊ	मु०अ०-37	न०प० मथुवन	वार्ड नं०-8 के अन्तर्गत मो० अम्बेडकर तिराहा में रमाकान्त के घर से पंचायत भवन होते हुए चन्द्रिका के घर तक कवर्ड नाली एवं इन्टरलाकिंग कार्य।	8.212
26	मऊ	मु०अ०-37	न०प० मथुवन	वार्ड नं० 3 के अन्तर्गत मो० खीरी कोठा में बेलथरा-मधुबन मुख्य मार्ग से राम भरत गोंड के घर तक नाली एवं इन्टरलाकिंग कार्य।	7.024
27	मऊ	मु०अ०-37	न०प० मथुवन	वार्ड नं० 3 के अन्तर्गत मो० खीरी कोठा में राम करन के घर से मुक्तिनाथ के घर तक नाली एवं इन्टरलाकिंग कार्य।	6.664
28	मऊ	मु०अ०-37	न०प० मथुवन	वार्ड नं० 3 के अन्तर्गत मो० खीरी कोठा में लाला पाण्डेय के घर से राम करन के घर तक नाली एवं इन्टरलाकिंग कार्य।	7.220



45/4

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

क्र०सं०	जनपद का नाम	योजना का नाम	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मु०न०अ०वि० व म०ब०वि० योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त)
29	मऊ	मु०अ०-37	न०प० मधुवन	वार्ड नं० 3 मो० खीरी कोठा में मेन पिच रोड से लाला पाण्डेय के घर तक नाली एवं इण्टरलाकिंग कार्य।	7.358
30	मऊ	मु०अ०-37	न०प० मधुवन	वार्ड नं० 3 के अन्तर्गत मो० खीरी कोठा में श्री राम राजभर के घर से रविशंकर के घर तक नाली एवं इण्टरलाकिंग कार्य।	9.760
31	मऊ	मु०अ०-37	न०प० मधुवन	वार्ड नं० 3 के अन्तर्गत मो० खीरी कोठा में रामभरत गौड़ के घर से श्री नारायण के घर तक नाली एवं इण्टरलाकिंग कार्य।	10.752
	योग				220.437

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता/पुरातत्व विभाग आदि के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।



45/5

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के क्रम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दौरावृत्ति हो रही हो तो उसका भुगतान न करते हुये उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष 50 प्रतिशत की प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परि० अधि०, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यकम अधिकारी, सूडा।
3. अधि० अभियन्ता-सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक